तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मदनलाल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 77/2023 (ऑन लाईन नं. 353275917390518)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.23	अपीलार्थी मदनलाल, पता जवताणियों की ढाणी, अमरपुरा सोर्ठन्तरा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.23 में उसके द्वारा (1) सत्र 2021–22 के कक्षा–8 के विद्यार्थियों के परिणाम की मेरिट सुची जिला जोधपुर व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपु) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 250 दिनांक 02.03.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) विद्याशाला जोधपुर से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) विद्याशाला जोधपुर को कार्यालय पत्रांक 225 दिनांक 21.02.23 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। चूंकि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) जोधपुर कार्यालय से संबंधित है तथा इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है अतः अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है, परन्तु लोक सूचना अधिकारी, शिक्षक प्रशिक्षसण संस्थान (डाईट) जोधपुर को भी निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	